

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020 / एफसीए / प्रमुवसं. / 2204 दिनांक 29/6/22

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 2.8224 ha. of forest land in favour of GM NTP JAIPUR for "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the NH-21 (old NH-11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena-Bharatpur." (Proposal no. FP/RJ/OFC/47243/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 4332 दिनांक 21.06.2022


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रस्ताव में भारत सरकार के मार्गदर्शिका 2019 Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications) के पैरा 3.5 के अनुसार OFC प्रकरणों में NPV के सम्बन्ध में Full exemption Provided:-

(a) No felling of trees is involved and area falls outside National Park /Sanctuary के अन्तर्गत एन.पी.वी. लागू नहीं है, परन्तु सीए के संबंध में पैरा 2.5 (प्रति संलग्न) Double DFL के प्रावधान उल्लेख किया गया है।

अतः भारत सरकार की गाईड लाईन 2019 के अनुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें। आलौच्य प्रकरण में आप द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है जिसे EDS Reply में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया है जो सर्वथा अनुचित है। भविष्य में ऐसा कृत्य स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही भविष्य में यह भी ध्यान रखा जाये कि मार्गदर्शन मात्र सामान्य कार्यालयी पत्राचार के माध्यम से संपादित किये जाते रहे है।
संलग्न:- उक्तानुसार।


भवदीय,


(अरिजीत बनर्जी)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020 / एफसीए / प्रमुवसं. / 2205-06 दिनांक 29/6/22
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
2. GM NTP Jaipur, 4th Floor Amenity Block PGMTD COMPOUND MI ROAD; JAIPUR-302001


(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर